

1 प्रकरण क्रमांक 206/14 अ0फौ0 एवं 37/14 अ0फौ0

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

**प्रकरण क्रमांक 206/14 अ0फौ0**  
**संस्थित दिनांक 23.01.2014**

विजय कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण आयु 40 साल  
व्यवसाय खेती, निवासी मौ रोड गोहद जिला  
भिण्ड म0प्र0

----- अपीलान्त

**एवं**

**प्र0क्र0 37/2014 अ.फौ.**  
**संस्थित दिनांक 22.01.14**

1. ईशाक खॉ पुत्र रहमान खॉ उम्र 38 वर्ष, निवासी  
वार्ड नम्बर 5 अर्जुन कॉलोनी गोहद जिला भिण्ड  
म0प्र0 ।
2. सराफत खॉ पुत्र मुंशी खॉ उम्र 35 वर्ष, निवासी  
वार्ड नम्बर 5 नूरगंज, तहसील गोहद, जिला  
भिण्ड म0प्र0

----- अपीलान्त

**बनाम**

म0प्र0शासन द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी परगना  
गोहद जिला भिण्ड

-----रिस्पोंडेंट

---

आरोपीगण/अपीलार्थीगण द्वारा श्री राजीव शुक्ला एवं श्री के0पी0 राठौर अधिवक्तागण ।  
राज्य शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर ।

---

---

न्यायालय श्री केशवसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद द्वारा दाण्डिक  
प्रकरण क्रमांक 997/2006 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 24-12-2013  
से उत्पन्न दाण्डिक अपील ।

---

## 2 प्रकरण क्रमांक 206/14 अ0फौ0 एवं 37/14 अ0फौ0

—:: निर्णय ::—

// आज दिनांक 28-07-2016 को खुले न्यायालय में घोषित //

01. अपीलार्थी/आरोपी विजय कुमार की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील धारा 374 द0प्र0सं0 जो कि प्र0क्र0 206/14 अ0फौ0 के रूप में है तथा अपीलार्थी/आरोपीगण ईशाक खॉ व सराफत खॉ की ओर से भी पेश उक्त धारा के अंतर्गत अपील फौजदारी क्रमांक 37/2014 पेश की गई है। उक्त दोनों ही अपीलें न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री केशवसिंह द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 997/06 निर्णय दिनांक 24-12-13 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों ही प्रकरणों के आरोपीगण/अपीलार्थीगण को धारा 379 भा0द0वि0 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था एवं अर्थदण्ड अदा करने की दशा में 3-3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। उक्त दोनों ही अपीलें एक ही प्रकरण से संबंधित होने से दोनों ही अपीलों का निराकरण एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

02. उक्त दोनों ही आपराधिक अपीलों के संबंध में अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि फरियादी नरेन्द्र सिंह ने पुलिस थाना एण्डोरी में एक लेखीय आवेदनपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 31-7-06 को करीब 2:00 बजे घन से लोहे की तोड़ने की आवाज आई। चूंकि पहले भी कुलावे के पाईप चोरी हो चुके हैं इसलिये वह गांव के अन्य लोग मखनसिंह, तीर्थसिंह, सुलखन सिंह, परमालसिंह व अन्य लोग टोर्च लेकर उस तरफ गये जहां से आवाज आ रही थी, वहां कुछ लोग टोर्च की रोशनी में जल संसाधन उपसंभाग की टू0आर0शाखा के जी0आई0पाईप तोड़ते देखे। उन लोगों ने ललकारा तो कुछ लोग भाग गये पीछा करने पर एक व्यक्ति अंधेरे में पत्थरों पर गिर पड़ा जिन्हें लोगों ने पकड़ा व नहर पर आकर देखा तो कुलावे का पाईप टुटा हुआ था। कुलावे के पास एक ट्रेक्टर खड़ा था जिसकी ट्रौली में टूटे हुये कुलावे के टुकड़े जो गिनने पर कुल 51 पीस थे उसमें रखे थे पकड़े गये चोर ने अपना नाम विजय कुमार शुक्ला बताया। ट्रेक्टर उसी का है ट्रेक्टर लाल रंग महेन्द्र 01225 है जिसका नम्बर एम0पी0 06 ए 9768 है। उक्त चोर को तथा ट्रेक्टर और चोरी के पाईप के टुकड़ों को आज सुबह थाने लेकर गये कार्यवाही की जाये। विजय कुमार शुक्ला के साथ अन्य लोग भी थे जो भाग गये। चोरी गये माल की कीमत लगभग 20,000/-रुपये है। जिस पर थाना एण्डोरी में अपराध क्रमांक 56/06 धारा 379 भा0द0वि0 पर पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार

पर आरोपीगण/अपीलार्थीगण को धारा 379 भा0द0सं0 के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इन्कार किया, उसका विचारण किया गया विचारण उपरांत आरोपीगण को धारा 379 भा0द0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुये उन्हें उक्त धारा के अपराध में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था तथा अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में तीन तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिससे व्यथित होकर आरोपी ईशाक खॉ एवं सराफत खॉ के द्वारा और आरोपी विजय कुमार के द्वारा प्रथक प्रथक यह दण्डित अपील प्रस्तुत की गयी है।

04. दोनों ही प्रकरणों के अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये अपील में मूलतः यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दण्डाज्ञा दिनांक 24-12-13 विधि विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का सही ढंग से विवेचना न करते हुये मनमाने तौर से क्यास निकालते हुये निर्णय एवं दण्डाज्ञा पारित की है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में जल संसाधन के द्वारा चोरी गए पाइपों के संबंध में किसी प्रकार की कोई गवाही स्वत्व के संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादी द्वारा दिए गए लिखित आवेदनपत्र एवं रिपोर्ट में आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई कृत्य एवं नाम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षियों के द्वारा भी घटनाक्रम एवं अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है। सिनाख्ती की कार्यवाही भी प्रमाणित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः आरोपीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश दिनांक 24.12.2013 को निरस्त करते हुए आरोपीगण/अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया है।

05. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुये उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं फेरबदल न करने का कोई आधार न होना बताते हुये अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

06. अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 24.12.2013 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

// निष्कर्ष के आधार //

07. घटना के रिपोर्टकर्ता नरेन्द्रसिंह अ0सा0 1 अपने साक्ष्य कथन में साक्ष्य दिनांक 08.08.2011 को 4-5 साल पहले उसका कुलावा चोरी हो गया था जो कि आवाज सुनकर वह और गांव के 4-5 लोग मौके पर गए थे। टार्च की रोशनी में देखा तो आरोपी विजय पाईप तोड़ रहा था, जब उन्हें ललकारा गया तो आरोपी विजय गिर पड़ा और उसके साथ के अन्य लोग भाग गए। मौके पर एक ट्रैक्टर ट्राली रखा हुआ था जिस में कि आरोपी व अन्य ने पाईप के टुकड़े रख लिए थे। आरोपी विजयसिंह को पकड़कर पुलिस थाना एण्डोरी ले गए थे और लिखित रिपोर्ट पुलिस को दी थी जो प्र.पी. 1 है उसके आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 लेखबद्ध की थी। इसके अतिरिक्त पुलिस के द्वारा नक्शामौका प्र.पी. 3 बनाया गया था जिस पर भी ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी विजय से उसके सामने टूटी हुई पाईप के टुकड़े व ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 06 ए 9768 जप्त हुआ था। पुलिस ने पंचनामा बनाया था जो प्र.पी. 4 है, उसके सामने जप्तशुदा वस्तुओं की सिनाख्ती की कार्यवाही भी कराई गई थी, सिनाख्ती प्र.पी. 5 है और आरोपी विजय को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 बनाया गया था।

08. उपरोक्त संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी हरविन्दरसिंह अ0सा0 2 के द्वारा भी फरियादी/रिपोर्टकर्ता के कथन का समर्थन करते हुए आरोपी विजय को घटना स्थल पर गिरने के कारण उसे वहीं देखना और पकड़ लेना बताया है। साक्षी ने यह भी बताया है कि पुलिस के द्वारा लोहे के पाईप के टुकड़े जप्त किए गए थे एवं ट्रैक्टर की जप्ती जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 के अनुसार जप्त करना और आरोपी विजयसिंह को प्र.पी. 6 के अनुसार गिरफ्तार करना बताया है।

09. घटना दिनांक को पाईप को तोड़कर ट्राली में भरकर ले जाना एवं उन्होंने भागते हुए एक आदमी को गिर जाना और उसे पकड़ लेना तथा मौके पर ट्रैक्टर ट्राली मौजूद होना साक्षी परमालसिंह अ0सा0 4, अवतारसिंह अ0सा0 5, तीर्थसिंह अ0सा0 6, मुख्तारसिंह अ0सा0 7 व मखनसिंह अ0सा0 8 के द्वारा भी बताया गया है।

10. इस प्रकार घटना दिनांक को ग्राम रायतपुरा शेरपुर नहर की पुलिया के पास नहर की पाईप जो कि सरकारी सम्पत्ति है को बिना अनुमति के हटाए जा उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट होता है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि – क्या उपरोक्त घटना आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा ही कारित की गई?

11. घटना के सूचनाकर्ता नरेन्द्रसिंह अ0सा0 1 के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी विजय को घटनास्थल पर भागते हुए पकड़ लिया जाना बताया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण कंडिका 3 में साक्षी मुख्य परीक्षण में किए गए



कथना को पुष्ट करते हुए बताया है कि आरोपी विजय घटनास्थल पर ही पाइप पर गिर पड़ा था, उसने व अन्य लोगों ने आरोपी विजय को पाइप के पास ही पकड़ लिया था। आरोपी को पकड़कर थाने ले गए थे। प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 में साक्षी को यह सुझाव दिया गया है कि आरोपी विजय घटना के समय शराब पिए था या नहीं साक्षी ने इस बारे में उसे जानकारी न होना बताया है। इस प्रकार स्वयं प्रतिरक्षा के द्वारा दिए गए उक्त सुझाव आरोपी विजय के घटना स्थल पर मौजूद होने की पुष्टि करता है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी विजय को मौके से नहीं पकड़ा गया था।

12. इस प्रकार घटना के फरियादी साक्षी नरेन्द्र अ0सा0 1 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथन किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं होते हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी तात्त्विक या गंभीर प्रकार का विरोधाभास अथवा बिसंगति आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि साक्षी के साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो, बल्कि साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों के परिप्रेक्ष्य में जो कि स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा उसे सुझाव दिया गया है आरोपी विजय की घटना के समय घटनास्थल पर मौजूदगी और उसे घटनास्थल से पकड़ लिये जाने के संबंध में साक्षी के द्वारा बताये गए कथन की पुष्टि होती है।

13. आरोपी विजय को घटनास्थल से पकड़ लिये जाने और वहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली में टूटे हुए लोहे के पाइप के टुकड़े विजय कुमार से जप्त होने की पुष्टि साक्षी हरविन्दरसिंह अ0सा0 2 के कथन से भी होती है। साक्षी हरविन्दरसिंह के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथन का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि वे लोग चुपचाप घटना सील पर पहुँचे थे। आरोपी विजय को जहाँ वह कुलावा तोड़ रहे थे वहीं पर पकड़ा गया था। आरोपी विजय घटनास्थल पर पाइप के पास गिर पड़ा था। उक्त साक्षी को भी यह सुझाव दिया गया है कि आरोपी शराब पिए हुए था तो साक्षी ने बताया है कि आरोपी कोई शराब नहीं पिए हुए था। इस प्रकार स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा आरोपी की घटनास्थल पर मौजूदगी के आशय का सुझाव साक्षी को दिया गया है। साक्षी इस सुझाव को गलत बताया है कि आरोपी विजय को मौके से नहीं पकड़ा गया था और मौके पर कोई पाइप, ट्रैक्टर नहीं था। साक्षी हरविन्दरसिंह के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथन अखण्डनीय रहा है, उसके कथनों में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है जिससे कि साक्षी के साक्ष्य कथन की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से भी आरोपी विजय के घटनास्थल पर घटना के समय मौजूद होने और उसके पास पाइप के टूटे हुए टुकड़े, ट्रैक्टर, ट्राली मौजूद होने की पुष्टि होती है।

14. उपरोक्त बिन्दु पर परमालसिंह अ0सा0 4 भी पाइप तोड़ने की आवाज

सुनकर घटना स्थल पर पहुँचना और उनके पहुँचने पर आरोपियों के भागने जो कि एक आदमी का भागते समय गिरना और वहाँ पर महिन्द्रा ट्रैक्टर व ट्राली खड़ा होना बताया है। साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें कि साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो आदमी मौके पर पकड़ा गया था उसका नाम विजय कुमार था और उसी का ट्रैक्टर ट्राली था। जो ट्रैक्टर पकड़ा गया था उसका क्रमांक एम.पी. 06 ए 9768 था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताया है कि घटना की रिपोर्ट उसने भी लिखाई थी और सभी लोगों ने लिखाई थी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि थाने पर दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में फरियादी नरेन्द्रसिंह के अरिक्त वर्तमान साक्षी के भी हस्ताक्षर हैं। साक्षी के द्वारा रिपोर्ट लिखाते समय विजय कुमार का नाम लिखवा देना बताया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में इस बिन्दु पर कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है।

15. उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना जो कि रात के दो बजे के करीब की होनी बताई गई है और घटना के समय घटनास्थल से आरोपी विजय को रिपोर्टकर्ता नरेन्द्रसिंह व अन्य गांव के लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया था। इस संबंध में थाना प्रभारी थाना एण्डोरी को लिखित सूचना प्र.पी. 1 का सूचनापत्र नरेन्द्रसिंह के द्वारा दिया गया है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 की आरोपी विजय कुमार व अन्य के विरुद्ध दर्ज की गई है। उक्त रिपोर्ट साक्षी नरेन्द्र सिंह के द्वारा प्रमाणित की गई है तथा घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 3 भी साक्षी नरेन्द्रसिंह के द्वारा प्रमाणित किया गया है। आरोपी विजय को घटना स्थल पर पकड़ लिये जाने और उसके पास उस समय ट्रैक्टर का भी होना बताया जा रहा है जो कि आरोपी सहित ट्रैक्टर जिसमें कि पाइप के टुकड़े थे को थाना एण्डोरी ले जाया गया था। थाना एण्डोरी में आरोपी विजय से टूटे हुए पाइप के टुकड़े एवं ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 06 ए 9768 व ट्राली जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 4 तैयार किया जाना साक्षी नरेन्द्रसिंह अ0सा0 1 एवं हरविन्दरसिंह अ0सा0 2 के द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस बिन्दु पर उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण उपरांत कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। आरोपी विजय की गिरफ्तारी भी थाना एण्डोरी में प्र.पी. 6 के अनुसार की गई है जो कि नरेन्द्रसिंह अ0सा0 1, हरविन्दरसिंह अ0सा0 2 के द्वारा आरोपी के थाना एण्डोरी में गिरफ्तार होने के तथ्य को प्रमाणित किया गया है।

16. उपरोक्त संबंध में यद्यपि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं विवेचना अधिकारी के कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराये जा सके हैं, किन्तु तत्कालीन थाना प्रभारी सुधीर अरजारिया के द्वारा की गई कार्यवाही जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2, नक्शामौका प्र.पी. 3, आरोपी विजय कुमार से लोहे के पाइप के टुकड़ों एवं ट्रैक्टर की जप्ती के संबंध में

जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 और आरोपी विजय कुमार की दिनांक 01.08.2006 को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 6 पर क्रमशः बी से बी एवं सी से सी भागों पर सुधीर अरजारिया के हस्ताक्षर होना प्रधान आरक्षक तहसीलदार अ0सा0 9 के द्वारा प्रमाणित किया गया है जो कि थाना प्रभारी सुधीर अरजारिया के साथ काम करने से उनके हस्ताक्षरों को साक्षी के द्वारा पहचाना गया है। उक्त साक्षी के द्वारा स्वयं कोई कार्यवाही न की जानी प्रतिपरीक्षण में बताई है।

17. आरोपी विजय कुमार की गिरफ्तारी उससे जप्ती की कार्यवाही का तथ्य अभियोजन साक्षी हरविन्दरसिंह अ0सा0 2 व नरेन्द्रसिंह अ0सा0 1 के कथनों से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। ऐसी दशा में मात्र इस बिन्दु पर यदि स्वयं विवेचना अधिकारी के कथन नहीं हुए है तो इससे इस संबंध में अभियोजन प्रकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

18. घटना के संबंध में अपील क्रमांक 37/2014 के आरोपीगण/अपीलार्थीगण इशाक खॉ एवं शराफत खॉ के घटना में संलग्न होने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी मौजूद नहीं है। उक्त दोनों ही अपीलार्थीगण/आरोपीगण के चोरी के घटना में संलग्न होने के संबंध में अभियोजन के द्वारा मुख्य रूप से उनके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उनके आधिपत्य से लोहे के पाइप के टुकड़ों की जप्ती होने का आधार बताया है। आरोपी शराफत खॉ के मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 7 के आधार पर उसके आधिपत्य से उसके पेश करने पर टूटे हुए लोहे के पाइप के छोटे टुकड़े 50 नग जप्त किया जाना बताया है। इसी प्रकार आरोपी इशाक खॉ के मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 8 के आधार पर उसके पेश करने पर टूटे हुए लोहे की पाइप के टुकड़े 30 नग जप्त करना बताया है। उपरोक्त आरोपीगण के मेमोरेण्डम एवं जप्ती का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन के द्वारा जप्तीकर्ता अधिकारी सुधीर अरजारिया के कथन नहीं कराए गए हैं। इस संबंध में उनके हस्ताक्षरों को पहचानने वाले तहसीलदारसिंह अ0सा0 9 के कथन कराए गए हैं। उक्त आरोपीगण के मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती की कार्यवाही के संबंध में साक्षी दलजीतसिंह यद्यपि अपने मुख्य परीक्षण में मेमोरेण्डम और उसके आधार पर जप्ती होना बताया है, किन्तु उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे पुलिस वालों ने गोहद आने की सूचना दी थी, उस समय करीब 8 बजे थे। साक्षी उसे इस बात की जानकारी न होना बताया है कि वहाँ पर मिलने वालों में कौन कौन था और उनके नाम और पता भी उसे मालूम न होना बताया है। साक्षी स्पष्ट रूप से यह भी बताया है कि वह पुलिस वालों के साथ थाने से कहीं नहीं गया था और प्र.पी. 7, 8, 9 व 10 पर हस्ताक्षर थाने में ही कर दिए थे, उस समय पुलिस वालों ने उक्त दस्तावेजों पर क्या लिखा था उसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने केवल दरोगाजी के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन के आधार पर आरोपी इशाक खॉ और



सराफत खॉ के मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती की कार्यवाही की पुष्टि होनी नहीं मानी जा सकती है।

19. उपरोक्त बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी मुख्त्यारसिंह अ0सा0 7 के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि वह इशाक खॉ के घर कभी नहीं गया था और इस बात से इन्कार किया है कि वह थाना प्रभारी अरजरिया के साथ इशाख खॉ के घर गया था। आरोपी सराफत खॉ के संबंध में पुलिस ने कहाँ पर कार्यवाही की थी इसका उसे ध्यान नहीं है और क्या कार्यवाही की थी इसका भी उसे ध्यान नहीं है एवं आरोपी सराफत खॉ से क्या जप्त किया गया था इसका भी उसे ध्यान नहीं है। प्र.पी. 7 लगायत 11 के हस्ताक्षर पुलिस ने कहाँ पर करवाए थे यह भी नहीं बता सकता है और उक्त दस्तावेजों में क्या क्या लिखा था यह भी वह नहीं बता सकता है। उसे केवल इतना ध्यान है कि उसने एक आरोपीगण को पकड़कर टैक्टर सहित थाने में दे दिया था। इस प्रकार उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों के आधार पर भी आरोपी सराफत खॉ और इशाक खॉ से मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती की कार्यवाही के तथ्य की पुष्टि होना नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि जप्तीकर्ता अधिकारी सुधीर अरजरिया के कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए हैं। जबकि ऐसा तथ्य भी नहीं आया है कि वह मौजूद नहीं है या न्यायालय में आ नहीं सकते हैं, जबकि उक्त साक्षी इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी था और महत्वपूर्ण साक्षी के कथन नहीं कराए जाने के परिप्रेक्ष्य में उक्त आरोपीगण इशाक खॉ व सराफत खॉ के मेमोरेण्डम के आधार पर लोहे के पाइप के टुकड़ों की जप्ती का तथ्य प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

20. इस प्रकार आरोपी इशाक खॉ, सराफत खॉ के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त आरोपीगण को मौके पर नहीं देखा गया है और न ही उनकी कोई पहचान हुई है। उनके घटना में संलग्न होना और उनके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता के संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा मुख्य रूप से उनके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उनके आधिपत्य से हुई जप्ती के तथ्य को मान्य किया है, किन्तु उक्त आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उनके आधिपत्य से जप्ती का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है जो कि पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट है। ऐसी दशा में आरोपी इशाक एवं सराफत खॉ को दोषसिद्ध ठहराए जाने के संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा उसके समक्ष आई हुई साक्ष्य पर उचित रूप से विचार किए बिना उन्हें दोषसिद्ध ठहराया गया है। उक्त आरोपीगण की दोषसिद्ध एवं उन्हें दिया गया दण्डादेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उक्त आरोपीगण के द्वारा प्रस्तुत अपील क्रमांक 37/2014 स्वीकार करते हुए उनके संबंध में ठहराई गई दोषसिद्ध एवं दण्डादेश को अपास्त कर उन्हें दोषमुक्त किया जाने का आदेश दिया जाता



है। उनके द्वारा जमा कराई गई अर्थदण्ड की राशि अपील अवधि पश्चात् वापस हो।

21. जहाँ तक आरोपी विजय का प्रश्न है, उसे घटना के समय मौके से ही पकड़ लिया गया था और आरोपी विजय की पहचान फरियादी नरेन्द्र व साक्षीगण परमालसिंह अ0सा0 4, अवतारसिंह अ0सा0 5, तीर्थसिंह अ0सा0 6, मुख्तारसिंह अ0सा0 7 व मख्खनसिंह अ0सा0 8 के द्वारा की गई है और घटना के पश्चात् उसे टैक्टर सहित थाना ले जाया गया है और वहीं पर जप्ती की कार्यवाही की गई है। जो कि इस संबंध में जप्ती की कार्यवाही प्र.पी. 4 जिसमें कि टूटे हुए लोहे के पाइप के 51 टुकड़े तथा टैक्टर मय ट्राली की जप्ती जप्ती के साक्षीगण नरेन्द्रसिंह अ0सा0 1 व हरजिन्दरसिंह अ0सा0 2 के कथनों से प्रमाणित होती है जो कि इस संबंध में उनके कथनों में अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है। उक्त जप्त पाइप जल संसाधन विभाग के होने की पहचान की कार्यवाही का पत्रक प्रदर्श पी-5 से स्पष्ट होता है। यद्यपि पहचानकर्ता नरेन्द्रसिंह फील्ड असिस्टेंट जल संसाधन विभाग की मृत्यु हो जाने से उनके कथन नहीं हो सके हैं, किन्तु उक्त जप्तशुदा पाइप जल संसाधन विभाग की नहर के ही हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है और न ही आरोपी पक्ष के द्वारा कोई आधार लिया गया है कि उक्त पाइप उनके स्वयं के हैं। ऐसी दशा में आरोपी विजय जो कि घटना के समय ही घटनास्थल पर तोड़े गए पाइप सहित देखा गया है और उसे साक्षीगणों के द्वारा पकड़कर थाने लाया गया है तथा उसकी गिरफ्तारी भी घटना के तुरन्त पश्चात् थाने पर ही की गई है। ऐसी दशा में उक्त आरोपी विजय के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रामाणिकता सिद्ध होना पाते हुए उसे दोषसिद्ध ठहराये जाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा भूल की गई हो ऐसा नहीं पाया जाता है, बल्कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य पर उचित रूप से विचार करते हुए आरोप विजय को घटना में संलग्न होना पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी विजय को दोषसिद्ध ठहराए जाने का जो आदेश दिया गया है उसकी पुष्टि की जाती है।

22. आरोपी विजय को अधिरोपित किए गए दण्ड के संबंध में आरोपी अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया कि आरोपी लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है और लगातार न्यायालय में उपस्थित हो रहा है। विचारण न्यायालय के द्वारा उसे दी गई सजा अत्यधिक कठोर है ऐसी दशा में दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने का निवेदन उनके द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर भी विचारण न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाने का निवेदन किया गया है।

23. सर्वप्रथम आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का जहाँ तक प्रश्न है। आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होना पाया गया है आरोपी

के द्वारा कुलावे में लगे लोहे के पाइप जो कि शासकीय सम्पत्ति है की चोरी की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए उसे प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया गया है जो कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

24. आरोपी को दिए गए दण्ड का जहाँ तक प्रश्न है, धारा 379 भा0दं0वि0 के अंतर्गत उसे विचारण न्यायालय के द्वारा **दो वर्ष** का सश्रम कारावास और 500/- रूपए अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है। प्रकरण जो कि 2006 से न्यायालय में लंबित है जो कि दस वर्षों से आरोपी विचारण का सामना कर रहा है, आरोपी लगातार न्यायालय में उपस्थित रहा है। विचारण न्यायालय के द्वारा उसे प्रदत्त की गई 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा कठोर है। उसे दिए गए 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा को कम करते हुए उसके स्थान पर अर्थदण्ड की राशि बढ़ाया जाना उचित होगा।

25. विचारोपरांत दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के द्वारा प्रस्तुत अपील क्रमांक 206/14 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपी विजय को विचारण न्यायालय के द्वारा दी गई 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा को कम कर 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदण्ड की राशि 500/- रूपए से बढ़ाकर 1500/- किए जाने का आदेश दिया जाता है। उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई अर्थदण्ड की राशि 500/- रूपए अधिरोपित अर्थदण्ड में समायोजित की जाए, शेष राशि जमा की जाए। अर्थदण्ड जमा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास की सजा स्थिर रखी जाती है।

26. आरोपी/अपीलार्थी विजय को अभिरक्षा में लिया जाकर संसोधित सजा वारंट बनाकर सजा भुगताए जाने हेतु भेजा जावे।

27. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश स्थिर रखा जाता है।

28. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड